ए.

मेसर्स डालमिया पावर लिमिटेड और ए. एन. आर.

बनाम

आय कर चक्र 1, ट्रिची के सहायक आयुक्त (2019 की सिविल अपील संख्या 9496-99)

बी.

18 दिसंबर, 2019

[उदय उमेश ललित और इंदु मल्होत्रा**,** जे**.** जे**.]**

आयकर अधिनियम, 1961-एस.139 (5), 143(2) – कम्पनी अधिनियम, 2013-ss.230-252 – अपीलार्थी संख्या 1 और 2 ने आय यू/एस का अपना मूल विवरणी दाखिल किया।139(1) अधिनियम, 1961 के ए. वाई. के लिए क्रमशः 30.09.2016 और 30.11.2016 पर-अपीलार्थियों ने 9 कंपनियों के साथ व्यवस्था और समामेलन की योजनाओं में प्रवेश किया-योजनाओं के अनुसार निर्धारित तिथि 01.01.2015 थी-योजनाओं को एन. सी. एल. टी. द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित किया गया था-जिसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थियों/हस्तांतरणकर्ता कंपनियों ने विभाग के साथ 27.11.2018 पर संशोधित आय विवरणी हस्तचालित रूप से दाखिल की-विभाग ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने देरी की माफी के लिए आवेदन दायर नहीं किया और संशोधित विवरणी को 31.03.2018 की वैधानिक अवधि से आगे दाखिल करने से पहले सी. बी. डी. टी. से अनुमति मांगी।143(2) योजना की मंजूरी को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम, 1961 की धारा को भी वापस ले लिया गया-अपीलार्थियों ने रिट याचिकाएं दायर कीं-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि से परे अपनी संशोधित आय विवरणिका दाखिल करने में सक्षम बनाया-हालांकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया-अपील पर कहाःएस.139 (5) आयकर अधिनियम की धारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होती है क्योंकि संशोधित विवरण-पत्र किसी चूक या गलत विवरण के कारण दाखिल नहीं किए गए थे-यह देरी एन. सी. एल. टी. से व्यवस्था और समामेलन की योजनाओं की मंजूरी प्राप्त करने में लगे समय के कारण हुई-निर्धारिती कंपनियों के लिए ए. वाई. के लिए आय के संशोधित विवरण-पत्र को 31.03.2018 की नियत तारीख से पहले दाखिल करना असंभव था, क्योंकि एन. सी. एल. टी. ने केवल 22.04.2018 और 01.05.2018

पर योजनाओं की मंजूरी और मंजूरी देने वाले अंतिम आदेश पारित किए थे-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को सही ढंग से अनुमति दी थी-तदनुसार, उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय ने अपास्त करना दिया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1236 ए.

1237

मेसर्स डालमिया पावर लिमिटेड बनामसहायक आयुक्त। आय कर चक्र 1, ट्रिची ए

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए**,** यह एस।**139(5)** आयकर अधिनियम**, 1961** की धारा वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होती है क्योंकि संशोधित विवरण**-**पत्र उसमें निहित किसी चूक या गलत कथन या चूक के कारण दाखिल नहीं किए गए थे।एन**.** सी**.** एल**.** टी**.** से व्यवस्था और विलय की योजनाओं की मंजूरी प्राप्त करने में लगने वाले समय के कारण देरी हुई। **[**पैरा **7] [1253-**एफ**]**

बी.

2. वर्तमान मामले के तथ्यों में**,** निर्धारिती कंपनियों के लिए यह असंभव था कि उन्होंने ए**.** वाई**. 2016-2017** के लिए संशोधित आय विवरणी **31.03.2018** की नियत तारीख से पहले दाखिल की हो**,** क्योंकि एन**.** सी**.** एल**.** टी**.** ने योजनाओं की मंजूरी और मंजूरी देने वाले अंतिम आदेश केवल **22.04.2018** और **01.05.2018** पर ही पारित किए थे।**[**पैरा **8] [1253-**जी**]**

सी.

3. विभाग की ओर से पेश वकील ने कहा कि अपीलार्थियोंओं को संशोधित विवरणी दाखिल करते समय देरी को माफ करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा **119 (2) (**बी**)** के तहत बोर्ड के समक्ष प्रतिनिधित्व करना चाहिए था।धारा **119 (2) (**बी**)** के अवलोकन से पता चलता है कि आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद इस अधिनियम

के तहत किसी आवेदन को स्वीकार करना, किसी भी छूट, कटौती, धनवापसी या किसी अन्य राहत का दावा करना वास्तविक कठिनाई के मामलों में लागू होता है। **[**पैरा **9] [1254-**ए-बी**]4.** धारा **119 (2) (**बी**)** के एक सादे अध्ययन पर, इस न्यायालय ने पाया कि यह प्रावधान लागू नहीं होगा जहां एक निर्धारिती ने अपने व्यवसाय का पुनर्गठन किया है, और विभाग से किसी भी आपत्ति के बिना, एन. सी. एल. टी. के पूर्व अनुमोदन और मंजूरी के साथ आय का संशोधित विवरणी दाखिल किया है।प्रक्रिया के नियमों को न्याय की सहायक माना गया है।निर्धारण कार्यवाहियों का उद्देश्य कानून के अनुसार एक निर्धारिती के कर दायित्व का सही आकलन करना है।**[**पैरा **9] [1254-**ई-एफ**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

5. वर्तमान मामले में, पूर्ववर्ती कंपनियों/हस्तांतरणकर्ता कंपनियों का स्थान अपीलकर्ता/हस्तांतरणकर्ता कंपनियों ने ले लिया है जिन्होंने सभी परिसंपत्तियों, देनदारियों, लाभ और हानि आदि के साथ अपने व्यवसाय को अपने हाथ में ले लिया है। आयकर अधिनियम की धारा **170 (1)** के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए,

एच.

विभाग को कंपनियों के विलय के बाद संशोधित रिटर्न को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थियों की आय का आकलन करना आवश्यक है।**[**पैरा **10] [1255-**डी-ई**]**

जे. के. (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड बनामनया कैसर-ए-हिंद एसपीजी. और

डब्ल्यूवीजी। कं. लिमिटेड [1969] 2 एससीआर 866; प्रा. के आयुक्त

बी.

आयकर, नई दिल्ली बनाम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 2019 (10) स्केल 21; मार्शल संस एंड कंपनी (भारत)

लिमिटेड वी.आई. टी. ओ. (1997) 2 एस. सी. सी. 303:[1996] 9 पूरक।एस. सी. आर. 216; कैलाश बनाम नानखु (2005) 4 एस. सी. सी. 480:[2005] 3

एससीआर **289;** पंजाब राज्य बनाम शामलाल मुरारी **(1976) 1**

एससीसी 719:[1976] 2 एस. सी. आर. 82; राष्ट्रीय ताप विद्युत

सी.

कं. लिमिटेड बनाम।आयकर आयुक्त (1997) 7 एससीसी

489 – संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

[1969] 2 एस**.** सी**.** आर**. 866** पैरा **4.6 2019 (10)** स्केल **21** पैरा **4.7 [1996] 9** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 216** पैरा **4.8 [2005] 3** एस**.** सी**.** आर**. 289** पैरा **9 (1976) 1** एस**.** सी**.** सी**. 719** पैरा **9 (1997) 7** एस**.** सी**.** सी**. 489** पैरा **9** को संदर्भित

डी.

ई.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2019 की सिविल अपील संख्या 9496-9499।

2019 के डब्ल्यू. ए. संख्या 566,567,568 और 569 में मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।एस. गणेश, सीनियर एड., आनंद सुकुमारन, एस. सुकुमारन, भुपेश के. पाठक, सुश्री मीरा माथुर, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

एफ.

अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, एस. ए. हसीब, अमित के. आर., प्रेम प्रकाश, अनस जैदी, श्रीमती अनिल कटियार, सुश्री सीमा बेगनानी, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

जी.

एच.

1239

मेसर्स डालमिया पावर लिमिटेड बनामसहायक आयुक्त। आय कर चक्र 1, ट्रिची ए

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदू मल्होत्रा**,** जे**.**

छुट्टी दे दी गई।

1. वर्तमान दीवानी अपीलों में विचार के लिए जो मुद्दा उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या विभाग को कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं के तहत समूह में अन्य कंपनियों के साथ निर्धारिती कंपनियों के विलय की कार्यवाही लंबित होने के कारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (5) के तहत निर्धारित नियत तिथि समाप्त होने के बाद निर्धारण वर्ष के लिए संशोधित आयकर विवरणी दाखिल करने की अनुमति देनी चाहिए थी।

बी.

सी.

2. इस मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि संक्षेप में इस प्रकार है:2.1 अपीलार्थी संख्या 1-मेसर्स डालमिया पावर लिमिटेड और अपीलार्थी संख्या 2-मेसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां हैं।अपीलार्थियों के पंजीकृत कार्यालय डालमियापुरम लालगुडी तालुक, डालमियापुरम, जिला तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हैं।

डी.

2.2 अपीलार्थी संख्या 1 प्रत्यक्ष रूप से या डाउनस्ट्रीम कंपनियों के माध्यम से बिजली और बिजली से संबंधित व्यवसायों के निर्माण, संचालन, रखरखाव और निवेश के व्यवसाय में लगा हुआ है।अपीलार्थी संख्या 2 सीमेंट के निर्माण और बिक्री, बिजली उत्पादन, रेल प्रणालियों के रखरखाव और संचालन के व्यवसाय में लगा हुआ है और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली बेचता है जो सीमेंट व्यवसाय को सेवाएं प्रदान करता है।

ई.

एफ.

2.3 अपीलार्थी संख्या 1 ने ए. वाई. 2016-2017 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत अपनी मूल आय विवरणी 30.09.2016 पर दाखिल की। 6,34,33,806/-।इसी तरह, अपीलार्थी संख्या 2 ने आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत ए. वाई. <आई. डी. 2 के लिए 30.11.2016 पर अपनी मूल आय विवरणी दाखिल की, जिसमें शून्य आय घोषित की गई। 56,89,83,608/- रुपये की कुल आय के मुकाबले। 56,89,83,608/-)।

जी.

एच.

2.4 अपने व्यवसायों के पुनर्गठन और समेकन के लिए, और अपने व्यवसायों की क्षमता को बेहतर ढंग से प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, जिससे लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे, और अपने शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन में वृद्धि होगी, अपने लेनदारों और कर्मचारियों के लिए बेहतर सुरक्षा, अपीलार्थियोंओं (जिन्हें "हस्तांतरणकर्ता कंपनियों" या "समामेलित कंपनियों" के रूप में भी जाना जाता है) ने 9 कंपनियों के साथ व्यवस्था और एकीकरण की 4 परस्पर जुड़ी योजनाओं में प्रवेश किया। डी. सी. बी. पावर वेंचर्स लिमिटेड, अदवेता सीमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड, ओडिशा सीमेंट लिमिटेड, ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड, डालमिया सीमेंट ईस्ट लिमिटेड, डालमिया भारत सीमेंट्स होल्डिंग्स लिमिटेड, श्री रंगम सिक्योरिटीज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, आधुनिक सीमेंट लिमिटेड, आधुनिक एम. एस. पी. सीमेंट (असम) लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारक और लेनदार।

बी.

सी.

योजनाओं की नियुक्त तिथि 01.01.2015 थी, और यह 30.10.2018 से प्रभावी होगी।

डी.

2.5 हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता कंपनियों ने मद्रास और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों के समक्ष कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के तहत कंपनी याचिकाएं दायर कीं। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने पर कंपनी याचिकाओं को एन. सी. एल. टी., चेन्नई और एन. सी. एल. टी., गुवाहाटी को स्थानांतरित कर दिया गया।

ई.

2.6 इन योजनाओं को एन. सी. एल. टी., गुवाहाटी द्वारा दिनांक 18.05.2017 और 30.08.2017 के आदेशों के माध्यम से विधिवत अनुमोदित और स्वीकृत किया गया था।एन. सी. एल. टी., चेन्नई ने 16.10.2017,20.10.2017,26.10.2017,28.12.2017,10.01.2018,20.04.2018 और 01.05.2018 दिनांकित आदेशों के माध्यम से योजनाओं को मंजूरी दी।

एफ.

2.7 योजनाओं को मंजूरी दिए जाने और एन. सी. एल. टी. द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद अपीलकर्ताओं/अंतरिती कंपनियों ने विभाग के साथ 'आई. डी. 1' पर संशोधित आय विवरणी हस्तचालित रूप से दाखिल की। संशोधित विवरणी हस्तांतरणकर्ता/समामेलित कंपनियों की कुल आय और कर देयता की संशोधित और संशोधित गणना पर आधारित थी।ए के संशोधित रिटर्न में

जी.

एच.

1241

मेसर्स डालमिया पावर लिमिटेड बनामसहायक आयुक्त। आय कर चक्र 1, ट्रिची [इंदु मल्होत्रा, जे.] ए.

आय, अपीलार्थी संख्या 1 ने चालू वर्ष में 837/- रुपये की राशि के नुकसान का दावा किया, जबकि अपीलार्थी संख्या 2 ने चालू वर्ष में नुकसान का दावा किया, जिसे आगे बढ़ाया जाना है, जिसकी राशि Rs.1105,93,91,494-है।

2.8 अपीलार्थियोंओं का कहना है कि संशोधित विवरणी निर्धारण वर्ष 2016-2017 के लिए धारा 139 (5) के तहत आय की संशोधित विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख के बाद दाखिल की गई थी क्योंकि एनसीएलटी ने 01.05.2018 पर अंतिम आदेश पारित किया था। परिणामस्वरूप, 31.03.2018 की निर्धारित तिथि से पहले संशोधित विवरणी दाखिल करना असंभव था।

बी.

सी.

2.9 अपीलार्थी सं. 1 के मामले से संबंधित तिथियों का सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है:

एस. एल. नहीं।	विशिष्टताएँ	ए. वाई. 2016-17
1	योजना की नियुक्त तिथि	01.01.2015
2	धारा 139 (1) के तहत आय की मूल विवरणी दाखिल करना।	30.09.2016
3	धारा 139 (5) के तहत संशोधित आय विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि	31.03.2018
4	योजना की प्रभावी तिथि	30.10.2018
5	योजना के अनुमोदन को प्रभावी बनाने के लिए संशोधित आय विवरणी दाखिल करने की	27.11.2018

	तिथि	

डी.

ई.

2.10 अपीलार्थी सं. 2 के मामले से संबंधित तिथियों का सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है:

एस. एल. नहीं।	विशिष्टताएँ	ए. वाई. 2016-17
1	योजना की नियुक्त तिथि	01.01.2015
2	आय का मूल विवरणी दाखिल करना	30.11.2016
3	धारा 139 (5) के तहत संशोधित आय विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि	31.03.2018
4	योजना की प्रभावी तिथि	30.10.2018
5	योजना के अनुमोदन को प्रभावी बनाने के लिए संशोधित आय विवरणी दाखिल करने की तिथि	27.11.2018

एफ.

जी.

एच.

2.11 04.12.2018 पर, विभाग ने योजना की मंजूरी को प्रभावी बनाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत एक नोटिस जारी किया।

2.12 आई. डी. 3 पर, विभाग ने आई. डी. 1 दिनांकित नोटिस को इस आधार पर वापस ले लिया कि अपीलार्थियोंओं ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी. बी. डी. टी.) से अनुमति प्राप्त किए बिना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 (2) (बी) के तहत देरी की माफी के लिए अपने संशोधित रिटर्न देर से दाखिल किए थे, जिसे सी. बी. डी. टी. परिपत्र संख्या 9/2015 दिनांक आई. डी. 2 के सहपठित पढ़ा गया था।

बी.

2.13 28.12.2018 पर, विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत एक मूल्यांकन आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि व्यवस्था और समामेलन की योजना को देखते हुए, धारा 143 (2) के तहत जारी किया गया नोटिस और ए. वाई. 2016-2017 के लिए मूल्यांकन कार्यवाही अपीलार्थी संख्या 2 के संबंध में निष्फल हो गई थी।

सी.

डी.

2.14 अपीलार्थियोंओं ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कर अनुरोध किया कि दिनांक 4 के आदेश को रद्द किया जाए और विभाग को ए. वाई. आई. डी. 6 और ए. वाई. आई. डी. 5 के लिए मूल्यांकन पूरा करने का निर्देश दिया जाए, जिसमें आई. डी. 2 पर दाखिल किए गए संशोधित आयकर रिटर्न के साथ-साथ एन. सी. एल. टी., चेन्नई द्वारा पारित आई. डी. 3 और आई. डी. 1 के आदेशों को ध्यान में रखा जाए, जो व्यवस्था और एकीकरण की योजनाओं को मंजूरी देते हैं।

ई.

2.15 मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 30.04.2019 के सामान्य निर्णय और आदेश के माध्यम से अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं की अनुमति दी, और विभाग द्वारा पारित दिनांक 05.12.2018 के आदेश को रद्द कर दिया।एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि योजना के खंड 64 (सी) ने अपीलार्थियों को आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि से आगे अपनी संशोधित आय विवरणी दाखिल करने में सक्षम बनाया। विभाग अपीलार्थियों द्वारा दाखिल आय के संशोधित विवरणी को अमान्य बताते हुए खारिज करके व्यवस्था और समामेलन की एक अनुमोदित योजना, जिसके पास वैधानिक बल है, को रद्द नहीं कर सका।

एफ.

जी.

एच.

मेसर्स डालमिया पावर लिमिटेड बनामसहायक आयुक्त। आय कर चक्र 1, ट्रिची [इंदु मल्होत्रा, जे.] ए.

ए.

विभाग ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 (5) के तहत अधिसूचित योजनाओं पर आपत्ति नहीं जताई।आयकर अधिनियम की धारा 139 (5) और 119 (2) (बी) के साथ-साथ सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्र संख्या 9/2015 उस मामले में लागू नहीं होती है जहां व्यवस्था और विलय की योजना के अनुसार आय का संशोधित विवरणी दाखिल किया गया है, जिसे एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत किया गया है।

बी.

विभाग ने संशोधित आय विवरणी को इस आधार पर अस्वीकार करना उचित नहीं माना कि इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने के बजाय हाथ से दाखिल किया गया था।आयकर नियमों के नियम 12 (3) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संशोधित आय विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता है, जो एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत व्यवस्था और समामेलन योजना के अनुसार निर्धारिती द्वारा संशोधित आय विवरणी दाखिल करने पर लागू नहीं होता है।

सी.

डी.

तदनुसार, एकल न्यायाधीश ने विभाग को निर्देश दिया कि वह एन. सी. एल. टी., चेन्नई द्वारा व्यवस्था और समामेलन की योजनाओं की मंजूरी के अनुसार दायर संशोधित विवरणी प्राप्त करे और 12 सप्ताह की अवधि के भीतर ए. वाई. 2015-2016 और ए. वाई. 2016-2017 के लिए कानून के अनुसार मूल्यांकन पूरा करे।

ई.

2.16 विभाग ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 30.04.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए लेटर्स पेटेंट अधिनियम के खंड 15 के तहत रिट अपील दायर की।

मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने दिनांक 1 के विवादित निर्णय के माध्यम से रिट अपील की अनुमति दी, और एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया।डिवीजन बेंच ने अपीलार्थियों को विलंबित संशोधित आय विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया और कहा कि योजना के खंड 64 को केवल एक सक्षम खंड के रूप में माना जा सकता है।यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि विभाग संशोधित आय विवरणी पर विचार करने के लिए सहमत हुआ, भले ही वह आयकर अधिनियम के तहत प्रक्रियात्मक और वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करता हो, केवल इसलिए कि योजना के खंड 64 पर विभाग को आपत्ति नहीं थी।एनसीएलटी,

एफ.

जी.

एच.

योजनाओं को मंजूरी देते समय, यह स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थियोंओं को आवश्यक अनुमति और अनुपालन प्राप्त करने के लिए संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों से संपर्क करने की आवश्यकता होगी।

विभाग ने संशोधित आय विवरणी दाखिल करने के संबंध में आयकर अधिनियम के S.139 (5) और 119 (2) (b) के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं या वैधानिक आवश्यकताओं को माफ करने के लिए सहमति नहीं दी।

बी.

2.17 विभाग ने दिनांक 1 दिनांकित पत्र के माध्यम से अपीलार्थियों को सूचित किया कि यदि वे धारा 153 आर. डब्ल्यू. के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार मूल्यांकन को पूरा करने के लिए निर्धारित सीमा अवधि की समाप्ति से पहले संशोधित विवरणी दाखिल करने में विफल रहते हैं। परंतुक (1) अर्थात विवादित निर्णय की तारीख से 60 दिन बाद ए. वाई. 2016-2017 के लिए मूल्यांकन उनके द्वारा दाखिल मूल विवरणी के आधार पर किया जाएगा।

सी.

डी.

2.18 अपीलार्थियोंओं ने 22.07.2019 पर एक अभ्यावेदन दिया जिसमें कहा गया कि व्यवस्था और विलय की योजना के अनुमोदन और मंजूरी के बाद, हस्तांतरणकर्ता कंपनियों की आय का विलय अपीलार्थियोंओं के हाथों डब्ल्यू. ई. एफ. 01.01.2015 में हो गया, जो अधिनियम की धारा 170 के तहत "उत्तराधिकार की तारीख" के रूप में नियुक्त तिथि थी। तदनुसार, अपीलार्थियोंओं ने विभाग से इस योजना का संज्ञान लेने और ए. वाई. 2016-2017 के लिए मूल्यांकन पूरा करते समय 27.11.2018 पर दाखिल की गई आय की संशोधित विवरणी को स्वीकार करने का अनुरोध किया।

ई.

एफ.

2.19 विभाग ने 05.08.2019 पर अपीलार्थियों को सूचित किया कि चूंकि संशोधित विवरणी अधिनियम की धारा 139 (5), 139 (3) के अनुसार नहीं थी। आयकर नियम, 1962 के नियम 12 (3) के अनुसार संशोधित विवरणी अमान्य थी और 2015 के सीबीडीटी परिपत्र संख्या 9 सहपठित धारा 119 (2) (बी) के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकता को देखते हुए इस पर विचार नहीं किया जा सकता था।

जी.

2.20 डिवीजन बेंच के फैसले से व्यथित होकर, अपीलार्थियोंओं ने इस न्यायालय के समक्ष 09.08.2019 पर वर्तमान सामान्य दीवानी अपील दायर की है।

एच.

1245

मेसर्स डालमिया पावर लिमिटेड बनामसहायक आयुक्त। आय कर चक्र 1, ट्रिची [इंदु मल्होत्रा, जे.] ए.

ए.

3. हमने अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. गणेश और विभाग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरिजीत प्रसाद को सुना है।हमने पक्षों द्वारा दायर दलीलों और लिखित प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

4. चर्चा और विश्लेषण

बी.

4.1 डी. सी. बी. पावर वेंचर्स लिमिटेड, अदवेता सीमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड, अपीलार्थियों संख्या 1 और अपीलार्थियों संख्या 2 और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच व्यवस्था और विलय की योजना के खंड 63 (सी) का अवलोकन, जैसा कि एन. सी. एल. टी., चेन्नई द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत किया गया है, दिनांक 16.10.2017,20.10.2017 और शुद्धिपत्र दिनांक 26.10.2017 के आदेशों से पता चलता है कि अपीलार्थियों ब्याज, जुर्माना या किसी अन्य राशि के कारण कोई दायित्व वहन किए बिना, विवरणी दाखिल करने या संशोधित करने के लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद, संशोधित आय विवरणी दाखिल करने के हकदार थे।उक्त योजना का खंड 63 (सी) तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिया गया हैः

सी.

डी.

“(ग) डी. सी. बी. एल. [अपीलकर्ता संख्या 2], अन्य बातों के अलावा, अपने आयकर विवरणी, टी. डी. एस./टी. सी. एस. विवरणी, धन कर विवरणी, सहपठित वा कर, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, प्रवेश कर, उपकर, व्यावसायिक कर या यदि आवश्यक हो

तो कोई अन्य वैधानिक विवरणी, भुगतान किए गए अग्रिम कर के लिए ऋण, स्रोत पर कर की कटौती, भुगतान के आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 43 बी के तहत निर्धारित राशि के लिए दावा, डी. सी. बी. एल. द्वारा पहले सहपठित अस्वीकृत प्रावधानों की कटौती के लिए दावा, (i) बिजली उपक्रमों सहपठित संबंधित डी. सी. बी. पावर और (ii) ए. सी. एच. एल. और/या आयकर अधिनियम के तहत समामेलन उपक्रम 1 सहपठित संबंधित, कर का ऋण दाखिल करने/संशोधित करने का हकदार होगा।

ई.

एफ.

जी.

एच.

या कोई अन्य राशि।डी. सी. बी. एल. को इस योजना के आधार पर अपनी आय या लेन-देन से संबंधित रिफंड, टैक्स क्रेडिट, सेट-ऑफ और/या समायोजन का दावा करने का अधिकार होगा, जो इस योजना के तहत निर्धारित तिथि I और नियुक्त तिथि II से प्रभावी होगा।क्रमशः नियुक्त तिथि I और नियुक्त तिथि II को या उसके बाद की अवधि से संबंधित बिजली उपक्रमों और समामेलन उपक्रम 1 द्वारा या उसकी ओर से भुगतान किए गए करों या शुल्कों को डी. सी. बी. एल. द्वारा भुगतान किए गए करों या शुल्कों के रूप में माना जाएगा और तदनुसार डी. सी. बी. एल. ऐसे करों या शुल्कों के लिए क्रेडिट या रिफंड का दावा करने का हकदार होगा।

बी.

सी.

डी. पी. एल. [अपीलकर्ता संख्या 1], अन्य बातों के अलावा, अपने आयकर विवरणी, टी. डी. एस./टी. सी. एस. विवरणी, धन कर विवरणी, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, प्रवेश कर, उपकर, व्यावसायिक कर या कोई अन्य वैधानिक विवरणी, यदि आवश्यक हो, दाखिल/या संशोधित करने का हकदार होगा, भुगतान किए गए अग्रिम कर के लिए ऋण, स्रोत पर कर की कटौती, भुगतान के आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 43 बी के तहत निर्धारित राशि के लिए दावा, डी. पी. एल. द्वारा आयकर अधिनियम के तहत डी. सी. बी. पावर के हाथों पहले से अस्वीकृत किए गए प्रावधानों की कटौती के लिए दावा, आयकर अधिनियम की धारा 115 जे. ए. सहपठित धारा 115 जे. बी. के तहत कर का ऋण, आयकर अधिनियम की धारा 115 जे. ए. के तहत कर का ऋण।डी. पी. एल. को निर्धारित तिथि I से इस योजना के आधार पर की गई अपनी आय या लेन-देन से संबंधित धनवापसी, कर क्रेडिट, भुगतान और/या समायोजन का दावा करने का अधिकार होगा।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1247

मेसर्स डालमिया पावर लिमिटेड बनामसहायक आयुक्त। आय कर चक्र 1, ट्रिची [इंदु मल्होत्रा, जे.] ए.

2 नियुक्त तिथि I को या उसके बाद की अवधि के संबंध में डी. पी. एल. द्वारा भुगतान किए गए करों या शुल्कों को माना जाएगा और तदनुसार डी. पी. एल. ऐसे करों या शुल्कों के लिए क्रेडिट या रिफंड का दावा करने का हकदार होगा।"

[जोर दिया गया]

बी.

4.2 इसी तरह, ओडिशा सीमेंट लिमिटेड, ओ. सी. एल. इंडिया लिमिटेड, डालमिया सीमेंट ईस्ट लिमिटेड, श्री रंगम सिक्योरिटीज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, डालमिया भारत सीमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड, अपीलार्थियों संख्या 1 और अपीलार्थियों संख्या 2 और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच व्यवस्था और विलय की योजना का खंड 64 (सी), जैसा कि एन. सी. एल. टी., चेन्नई द्वारा 20.04.2018 और 01.05.2018 पर अनुमोदित और स्वीकृत किया गया है, यह दर्शाता है कि ऐसे प्रावधानों को शामिल किया गया था ताकि अपीलार्थियों ब्याज, जुर्माना या किसी अन्य राशि के कारण कोई दायित्व वहन किए बिना, इस तरह के रिटर्न दाखिल करने या संशोधित करने के लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकें।उक्त योजना का खंड 64 (सी) तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिया गया हैः

सी.

डी.

"(ग) समामेलित कंपनी और अंतरिती [अपीलार्थी संख्या 1 और 2] कंपनी, अन्य बातों के अलावा, अपने आयकर विवरणी, टीडीएस/टी. सी. एस. विवरणी, धन कर विवरणी, सहपठित वा कर, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, प्रवेश कर, उपकर, व्यावसायिक कर या यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य वैधानिक विवरणी, भुगतान किए गए अग्रिम कर के लिए ऋण, स्रोत पर कर कटौती, भुगतान के आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 43 बी के तहत निर्धारित राशि के लिए दावा, समामेलित कंपनी और अंतरिती कंपनी द्वारा वापस लिखे गए

प्रावधानों की कटौती के लिए दावा, जिसहपठित पहले समामेलित कंपनी और अंतरिती कंपनी (हस्तांतरित उपक्रम सहपठित संबंधित) के हाथों अस्वीकृत कर दिया गया था, दाखिल/या संशोधित करने की हकदार होगी।

ई.

एफ.

जी.

एच.

इस योजना को प्रभावी बनाना, भले ही इस तरह के विवरणी को दाखिल करने या संशोधित करने के लिए निर्धारित समय सीमा ब्याज, जुर्माना या किसी अन्य राशि के कारण कोई दायित्व वहन किए बिना समाप्त हो गई हो।समामेलित कंपनी और अंतरिती कंपनी को निर्धारित तिथि से इस योजना के आधार पर उनके द्वारा की गई आय या लेन-देन से संबंधित धनवापसी, कर क्रेडिट, भुगतान और/या समायोजन का दावा करने का अधिकार होगा।निर्धारित तिथि को या उसके बाद की अवधि के संबंध में समामेलित कंपनी और हस्तांतरणकर्ता कंपनी (हस्तांतरित उपक्रम से संबंधित) द्वारा या उसकी ओर से भुगतान किए गए करों या शुल्कों को क्रमशः समामेलित कंपनी और हस्तांतरणकर्ता कंपनी द्वारा भुगतान किए गए करों या शुल्कों के रूप में माना जाएगा और समामेलित कंपनी और हस्तांतरणकर्ता कंपनी ऐसे करों या शुल्कों के लिए क्रेडिट या रिफंड का दावा करने के हकदार होंगे।”

बी.

सी.

[4. 3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 (5) के अनुपालन में, प्रपत्र सं. सी ए ए। 3 कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत विभाग को भेजे गए थे।कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 की उप-धारा (5) निम्नानुसार प्रदान करती हैः

डी.

ई.

“(5) उप-धारा (3) के तहत केंद्र सरकार, आय-कर प्राधिकरणों, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, पंजीयक, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, आधिकारिक परिसमापक, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यदि आवश्यक हो, और ऐसे अन्य क्षेत्रीय नियामकों या प्राधिकरणों को, जो

समझौते या व्यवस्था से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं, सभी दस्तावेजों के साथ एक सूचना भेजी जाएगी, और उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि उनके द्वारा किए जाने वाले अभ्यावेदन, यदि कोई हों, ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर किए जाएंगे, जिसमें विफल होने पर, यह एक -

एफ.

जी.

एच.

1249

मेसर्स डालमिया पावर लिमिटेड बनामसहायक आयुक्त। आय कर चक्र 1, ट्रिची [इंदु मल्होत्रा, जे.] ए.

यह माना जाए कि उनके पास प्रस्तावों पर करने के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।"

[धारा 230 की उप-धारा (5) में यह अपेक्षा की गई है कि योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ धारा 230 की उप-धारा (3) के तहत बैठक की सूचना केंद्र सरकार और सांविधिक प्राधिकरणों जैसे आयकर विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, एस. ई. बी. आई., आर. ओ. सी. आदि और ऐसे अन्य क्षेत्रीय नियामकों या प्राधिकरणों को भेजी जाएगी जिनके समझौते या व्यवस्था से प्रभावित होने की संभावना है।वैधानिक अधिकारी नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां उठा सकते हैं, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि उनके पास समझौते, व्यवस्थाओं और एकीकरण की प्रस्तावित योजनाओं पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।

बी.

सी.

4.4 इसी तरह, कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 8 (3) में प्रावधान है कि धारा 230 (5) के तहत अधिसूचित वैधानिक प्राधिकरणों को किया गया कोई भी अभ्यावेदन, ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर एन. सी. एल. टी. को भेजा जाएगा, और इस तरह के अभ्यावेदन की एक प्रति संबंधित कंपनियों को एक साथ भेजी जाएगी।यदि तीस दिनों के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि सांविधिक प्राधिकरणों के पास समझौता या व्यवस्था की प्रस्तावित योजना पर कोई अभ्यावेदन नहीं है।

डी.

ई.

कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 का नियम 8 तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है:

एफ.

"(3) यदि उपनियम (1) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी धारा 230 की उप-धारा (5) के तहत कोई अभ्यावेदन करना चाहते हैं, तो उसे ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा और ऐसे अभ्यावेदन की प्रति संबंधित कंपनियों को एक साथ भेजी जाएगी और यदि न्यायाधिकरण द्वारा तीस दिनों की उल्लिखित अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि प्राधिकरणों को समझौता या व्यवस्था की प्रस्तावित योजना पर कोई अभ्यावेदन नहीं करना है।"

जी.

[जोर दिया गया]

एच.

4.5 विभाग ने नोटिस दिए जाने के बावजूद 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति नहीं उठाई।

4.6 इसके अनुसार, योजनाओं को एन. सी. एल. टी., चेन्नई द्वारा आदेश 16.10.2017,20.10.2017,26.10.2017,28.12.2017,10.01.2018,20.04.2018 और 01.05.2018 के माध्यम से और एन. सी. एल. टी., गुवाहाटी द्वारा दिनांकित 18.05.2017 और 30.08.2017 के आदेशों के माध्यम से मंजूरी दी गई थी।तदनुसार, योजनाओं ने न केवल हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता कंपनियों के बीच, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी वैधानिक बल प्राप्त किया, क्योंकि वैधानिक प्राधिकरणों, विभाग या अन्य नियामकों या प्राधिकरणों द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, जिनके योजनाओं से प्रभावित होने की संभावना थी।

बी.

सी.

4.7 परिणामस्वरूप, जब कंपनियों का विलय हुआ और दूसरे में विलय हुआ, तो समामेलन करने वाली कंपनियों ने अपनी अलग पहचान और चरित्र खो दिया, और समामेलन की योजनाओं की मंजूरी पर उनका अस्तित्व समाप्त हो गया।2

डी.

4.8 व्यवस्था और समामेलन की प्रत्येक योजना में एक नियुक्त तिथि का प्रावधान होना चाहिए। नियुक्त तिथि वह तिथि है जिस पर हस्तांतरणकर्ता कंपनी की परिसंपत्तियां और देनदारियां निहित होती हैं और हस्तांतरणकर्ता कंपनी को हस्तांतरित की जाती हैं।योजनाएँ नियुक्त तिथि से प्रभावी होती हैं, जब तक कि न्यायालय द्वारा संशोधित नहीं की जाती हैं।

ई.

यह न्यायालय मार्शल संस एंड कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम.

आई. टी. ओ. 3 ने अभिनिर्धारित किया कि जहां न्यायालय कोई विशिष्ट तिथि निर्धारित नहीं करता है, लेकिन केवल प्रस्तुत योजना को मंजूरी देता है, तो यह होगा कि समामेलन की तारीख/हस्तांतरण की तारीख योजना में "हस्तांतरण तिथि" के रूप में निर्दिष्ट तिथि है।यह माना गया था किः

एफ.

“14. समामेलन की प्रत्येक योजना को अनिवार्य रूप से एक तारीख प्रदान करनी होती है जिसके प्रभाव से

जी.

1 जे. के. (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड बनामनया कैसर-ए-हिंद एसपीजी. और डब्ल्यूवीजी। कं. लिमिटेड, (1969) 2 एससीआर

866 :ए. आई. आर. 1970 एससी 1041:(1970) 40 कम्प कैस 689; ए

2 प्रा. आयकर आयुक्त, नई दिल्ली बनाम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, सिविल

2019 की अपील संख्या 5409,25.07.2019 पर निर्णय लिया गया।

3 मार्शल संस एंड कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनामआई. टी. ओ. (1997) 2 एस. सी. सी. 303

एच.

1251

मेसर्स डालमिया पावर लिमिटेड बनामसहायक आयुक्त। आय कर चक्र 1, ट्रिची [इंदु मल्होत्रा, जे.] ए.

समामेलन/हस्तांतरण होगा।यहाँ संबंधित योजना ऐसा प्रदान करती है। 1-1-1982।यह सच है कि योजना को मंजूरी देते समय, यह न्यायालय के लिए खुला है कि वह उक्त तिथि को

संशोधित करे और समामेलन/हस्तांतरण की ऐसी तिथि निर्धारित करे जो वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।यदि न्यायालय इस प्रकार एक तिथि निर्दिष्ट करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी तिथि समामेलन की तिथि/हस्तांतरण की तिथि होगी।लेकिन जहां न्यायालय कोई विशिष्ट तिथि निर्धारित नहीं करता है, लेकिन केवल उसे प्रस्तुत की गई योजना को मंजूरी देता है-जैसा कि इस मामले में हुआ है-तो यह होना चाहिए कि समामेलन की तारीख/हस्तांतरण की तारीख योजना में "हस्तांतरण की तारीख" के रूप में निर्दिष्ट तिथि है।यह अन्यथा नहीं हो सकता।यह याद रखना चाहिए कि धारा 391 (1) के तहत न्यायालय में आवेदन करने से पहले, एक योजना तैयार की जानी चाहिए और ऐसी योजना में समामेलन/हस्तांतरण की तारीख होनी चाहिए।न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में कुछ समय लग सकता है; वास्तव में, वे कुछ समय लेने के लिए बाध्य हैं क्योंकि धारा 391 से 394-ए और प्रासंगिक नियमों द्वारा प्रदान किए गए कई कदमों का पालन और अनुपालन किया जाना है।जिस अवधि के दौरान कार्यवाही न्यायालय के समक्ष लंबित है, दोनों समामेलन इकाइयाँ, यानी हस्तांतरणकर्ता कंपनी और हस्तांतरणकर्ता कंपनी व्यवसाय कर सकती हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ है, लेकिन आम तौर पर समामेलन की योजना में भी इस पहलू के लिए प्रावधान किया जाता है।"

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि व्यवस्था और विलय की योजना के अनुसार, हस्तांतरणकर्ता कंपनी के मूल्यांकन में हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता दोनों कंपनियों की आय को ध्यान में रखा जाना चाहिए।न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

जी.

"15. राजस्व के वकील ने तर्क दिया कि यदि उपरोक्त दृष्टिकोण को अपनाया जाता है तो न्यायालय द्वारा समामेलन की योजना को मंजूरी देने से इनकार करने की स्थिति में कई जटिलताएं पैदा होंगी।हम इसका कोई आधार नहीं देखते हैं।

एच.

आशंका।सबसे पहले, हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता दोनों कंपनियों की आय को ध्यान में रखते हुए हस्तांतरणकर्ता कंपनी पर हमेशा एक मूल्यांकन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।दूसरा, और संभवतः राजस्व के दृष्टिकोण से अधिक उचित तरीका यह होगा कि हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरणकर्ता दोनों कंपनियों की आय को ध्यान में रखते हुए हस्तांतरणकर्ता कंपनी पर एक मूल्यांकन किया जाए और हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता दोनों कंपनियों पर अलग-अलग सुरक्षात्मक मूल्यांकन किया जाए।इस पाठ्यक्रम को अपनाने में कुछ व्यावहारिक कठिनाई हो सकती है क्योंकि हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता कंपनियों के लिए अलग-अलग तुलनपत्र उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।लेकिन यह एक अपूरणीय समस्या नहीं हो सकती है क्योंकि मूल्यांकन हमेशा उपलब्ध सामग्री पर किया जा सकता है, यहां तक कि बैलेंस-शीट के बिना भी।कुछ मामलों में, सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन का भी सहारा लिया जा सकता है।जो भी हो, हमें इस जांच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह इन मामलों में सीधे विचार के लिए उत्पन्न नहीं होता है।"

बी.

सी.

डी.

4.9 वर्तमान मामले में, अपीलार्थी Nos.1 और 2/अंतरिती कंपनियों ने क्रमशः 30.09.2016 और 30.11.2016 पर अपनी मूल आय विवरणी दाखिल की।इसके बाद, उन्होंने 2017 में 9 हस्तांतरणकर्ता कंपनियों के साथ व्यवस्था और विलय की योजनाओं में प्रवेश किया।इन योजनाओं को अंततः एन. सी. एल. टी., चेन्नई द्वारा दिनांक 20.04.2018 और 01.05.2018 के अंतिम आदेशों के माध्यम से स्वीकृत और अनुमोदित किया गया। योजनाओं के अनुसार नियुक्त तिथि 01.01.2015 थी।नतीजतन, हस्तांतरणकर्ता/विलय करने वाली कंपनियों का अस्तित्व नियुक्त तिथि से समाप्त हो गया और संपत्ति, लाभ और हानि आदि को अपीलकर्ताओं/हस्तांतरणकर्ता कंपनियों/विलय करने वाली कंपनियों के बही में स्थानांतरित कर दिया गया।

ई.

एफ.

इन योजनाओं में निर्धारित समय सीमा से परे संशोधित विवरणी दाखिल करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं क्योंकि ये योजनाएं नियुक्त तिथि यानी 01.01.2015 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगी।

जी.

तदनुसार, अपीलार्थियोंओं ने 27.11.2018 पर अपना संशोधित विवरणी दाखिल किया।पुनः संगणना का ए. वाई. के संबंध में अपीलार्थियों की कुल आय पर प्रभाव पड़ेगा।

एच.

1253

मेसर्स डालमिया पावर लिमिटेड बनामसहायक आयुक्त। आय कर चक्र 1, ट्रिची [इंदु मल्होत्रा, जे.] ए.

ए.

2016-2018, विशेष रूप से नुकसान को आगे बढ़ाने, अवशोषित मूल्यह्रास आदि के संबंध में मामलों पर।

5. विभाग की ओर से पेश वकील ने आयकर अधिनियम की धारा 139 (5) और 119 (2) (बी) पर भरोसा किया। सी. बी. डी. टी. द्वारा 2015 का परिपत्र सं. 9 यह तर्क देने के लिए जारी किया गया कि अपीलार्थी को देरी की माफी के लिए आवेदन करना चाहिए था, और 31.03.2018 की वैधानिक अवधि से परे संशोधित विवरणी दाखिल करने से पहले सी. बी. डी. टी. से अनुमति लेनी चाहिए थी।अपीलार्थियों ने ए. वाई. 2016-2017 के लिए 27.11.2018 पर, जो कि 31.03.2018 की नियत तारीख से आगे था, देर से अपनी संशोधित विवरणी दाखिल की थी, मूल्यांकन केवल अपीलार्थियों द्वारा दायर मूल विवरणी के आधार पर किया जा सकता था।

बी.

सी.

6. आयकर अधिनियम की धारा 139 (5), जैसा कि प्रासंगिक समय पर थी, यह स्पष्ट करती है कि जहां कोई निर्धारिती धारा 139 की उप-धारा (1) या उप-धारा (4) के तहत विवरणी प्रस्तुत करता है, और बाद में उसमें कोई चूक या गलती का पता चलता है, तो वह संबंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की समाप्ति से पहले या निर्धारण के पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, किसी भी समय संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है।आयकर अधिनियम की धारा 139 (5) तैयार संदर्भ के लिए नीचे दी गई हैः

डी.

“ 139(5).यदि कोई व्यक्ति, धारा 139 की उप-धारा (1) या उप-धारा (4) के तहत विवरणी प्रस्तुत करने के बाद, उसमें कोई चूक या गलत विवरण पाता है, तो वह संबंधित निर्धारण वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की समाप्ति से पहले या निर्धारण के पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, किसी भी समय संशोधित विवरणी प्रस्तुत कर सकता है।

ई.

7. हमारे विचार में, यह प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है क्योंकि संशोधित विवरण-पत्र उसमें निहित किसी चूक या गलत कथन या चूक के कारण दाखिल नहीं किए गए थे।एन. सी. एल. टी. से व्यवस्था और विलय की योजनाओं की मंजूरी

प्राप्त करने में लगने वाले समय के कारण देरी हुई। 8.वर्तमान मामले के तथ्यों में, निर्धारिती कंपनियों के लिए ए. वाई. 2016-2017 के लिए संशोधित आय विवरणी 31.03.2018 की नियत तारीख से पहले दाखिल करना असंभव था, क्योंकि एन. सी. एल. टी. ने योजनाओं की मंजूरी और मंजूरी देने वाले अंतिम आदेश केवल 22.04.2018 और 01.05.2018 पर ही पारित किए थे।

एफ.

जी.

एच.

1254

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 18 एस सी आर।

9. विभाग की ओर से पेश वकील ने कहा कि अपीलार्थियोंओं को संशोधित विवरणी दाखिल करते समय देरी को माफ करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 119 (2) (बी) के तहत बोर्ड को एक अभ्यावेदन देना चाहिए था।धारा 119 (2) (बी) के अवलोकन से पता चलता है कि आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद इस अधिनियम के तहत किसी आवेदन को स्वीकार करना, किसी भी छूट, कटौती, धनवापसी या किसी अन्य राहत का दावा करना वास्तविक कठिनाई के मामलों में लागू होता है।

बी.

आयकर अधिनियम की धारा 119 (2) (बी) तैयार संदर्भ के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत की गई है:

“119. अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश।

सी.

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना -

...

(ख) बोर्ड, यदि वह किसी भी मामले या मामलों के वर्ग में वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए ऐसा करना वांछनीय या समीचीन समझता है, तो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी आयकर प्राधिकरण को, जो आयुक्त (अपील) नहीं है, इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद इस अधिनियम के तहत किसी भी छूट, कटौती, धनवापसी या किसी अन्य राहत के लिए आवेदन या दावा स्वीकार करने के लिए अधिकृत कर सकता है।”

डी.

ई.

धारा 119 (2) (बी) के एक सादे अध्ययन पर, हम पाते हैं कि यह प्रावधान लागू नहीं होगा जहां एक निर्धारिती ने अपने व्यवसाय का पुनर्गठन किया है, और विभाग से किसी भी आपत्ति के बिना, एन. सी. एल. टी. के पूर्व अनुमोदन और मंजूरी के साथ आय का संशोधित विवरणी दाखिल किया है।

एफ.

प्रक्रिया के नियमों को न्याय की सहायक माना गया है।4 निर्धारण कार्यवाहियों का उद्देश्य कानून के अनुसार एक निर्धारिती के कर दायित्व का सही आकलन करना है।5

10. आयकर अधिनियम की धारा 170 (1) में यह प्रावधान है कि किसी निर्धारिती के उत्तराधिकारी का आकलन निम्नलिखित आय के संबंध में किया जाएगा -

जी.

4 कैलाश बनाम नानखु (2005) 4 एससीसी 480; पंजाब राज्य बनाम शामलाल मुरारी (1976) 1 एससीसी

719

5 नेशनल थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड बनामआयकर आयुक्त, (1997) 7 एस. सी. सी. 489 ए.

एच.

1255

मेसर्स डालमिया पावर लिमिटेड बनाम इनकम टैक्स सर्कल 1 के सहायक आयोग, ट्रिची [इंदु मल्होत्रा, जे.] ए.

उत्तराधिकार की तारीख के बाद का पिछला वर्ष।आयकर अधिनियम के S.170 (1) में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

“170. मृत्यु के अलावा व्यवसाय के लिए उत्तराधिकार।(1) जहां किसी व्यवसाय या पेशे को चलाने वाले व्यक्ति (इस धारा में इसके बाद ऐसा व्यक्ति जिसे पूर्ववर्ती के रूप में संदर्भित किया गया है) का उत्तराधिकारी कोई अन्य व्यक्ति (इसके बाद इस धारा में उत्तराधिकारी के रूप में संदर्भित) होता है, जो उस व्यवसाय या पेशे को जारी रखता है, (क) पूर्ववर्ती का आकलन उस पूर्व वर्ष की आय के संबंध में किया जाएगा जिसमें उत्तराधिकार की तारीख तक उत्तराधिकार हुआ था;

बी.

सी.

(ख) उत्तराधिकारी का निर्धारण उत्तराधिकार की तारीख के बाद पिछले वर्ष की आय के संबंध में किया जाएगा।"

धारा 170 की उप-धारा (1) यह स्पष्ट करती है कि उत्तराधिकार की तारीख के बाद पिछले निर्धारण वर्ष के संबंध में उत्तराधिकारी की कुल आय का आकलन करना विभाग का दायित्व है। वर्तमान मामले में, पूर्ववर्ती कंपनियों/हस्तांतरणकर्ता कंपनियों का स्थान अपीलकर्ता/हस्तांतरणकर्ता कंपनियों ने ले लिया है जिन्होंने सभी परिसंपत्तियों, देनदारियों, लाभ और हानि आदि के साथ अपने व्यवसाय को अपने हाथ में ले लिया है।

डी.

ई.

आयकर अधिनियम की धारा 170 (1) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, विभाग को कंपनियों के विलय के बाद दायर संशोधित विवरणी को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थियों की आय का आकलन करना आवश्यक है।

11. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को उचित रूप से अनुमति दी थी।तदनुसार हम विद्वान खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश दिनांक 04.07.0219 को अपास्त करनाते हैं, और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 30.04.2019 निर्णय को पुनर्स्थापित करते हैं।तदनुसार, दीवानी अपीलों की अनुमति है।

एफ.

जी.

विभाग को अपीलार्थियों द्वारा दायर ए. वाई. 2016-2017 के लिए संशोधित आय विवरणी प्राप्त करने और आय विवरणी को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है।

एच.

एन. सी. एल. टी. द्वारा स्वीकृत व्यवस्था और समामेलन की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ए. वाई. 2016-2017 के लिए मूल्यांकन। 12.लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का तदनुसार निपटारा किया जाता है।तदनुसार आदेश दिया।

बी.

अपीलों की अनुमति दी गई।

2019 का अंत * * * * * *

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.